छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ–5–01/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06/03/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अरण्य भवन, सेक्टर–19,
नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर,
अटल नगर, छत्तीसगढ़।

विषयः– आवेदनकर्ता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर का कांकेर वनमंडल के चारामा परिक्षेत्र अंतर्गत नारंगी वन खण्ड तेलगरा के कक्ष क्रमांक ओ.ए. 1461 के 30.529 हे. वन भूमि में शासकीय चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भः–1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 11–9/1998–FC दिनांक 15.02.2018।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी व.सं.अ. 80 छ0ग0 रायपुर का पत्र क./भू–प्रबंध/विविध/115–13/412, दिनांक 20.02.2020।

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी व.सं.अ. 80 छ0ग0 रायपुर का पत्र क./भू–प्रबंध/विविध/115–850/135, दिनांक 23.01.2020 तथा पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–850/459, दिनांक 26.02.2020।

——00——

कृपया संदर्भित ज्ञापनों का अवलोकन करें।

2/– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 11–9/1998–FC दिनांक 15.02.2018 के तहत् नक्सल प्रभावित जिलो में 5.00 हे. से 40.00 हे. तक चिंहित शासकीय विकासोन्मुखी गैर वानिकी कार्य, जिनमें 50 वृक्ष प्रति हे. से ज्यादा वृक्ष कटाई सम्मिलित हो, ऐसे प्रकरणों में सामान्य अनुमोदन के तहत् अनुमति बाबत् निर्णय लेने का अधिकार राज्य शासन स्तर पर गठित State Level Committee को दिया गया है।

3/– विषयांकित प्रकरण को उक्त State Level Committee की बैठक दिनांक 10.02.2020 में प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी व.सं.अ. 80 छ0ग0 के संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण जारी किया गया है।

4/– उक्त कार्यवाही विवरण में विषयांकित प्रकरण में सैद्वांतिक अनुमति जारी करने के पूर्व वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल में संशोधन के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों का पालन करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा उनके पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–850/459, दिनांक 26.02.2020 के माध्यम से संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की गई है।

5/– विषयांकित प्रकरण में नोडल अधिकारी द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव पर State Level Committee के बैठक दिनांक 10.02.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में तथा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 11–9/1998–FC दिनांक 15.02.2018 में निहित प्रावधानो के तहत् विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा कांकेर वनमंडल अंतर्गत चारामा परिक्षेत्र के नारंगी वन खण्ड तेलगरा के कक्ष क्रमांक ओ.ए. 1461 के 30.529 हे. वन भूमि में शासकीय चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु आवेदनकर्ता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

क्रमशः 2

2.(अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर कांकेर वनमंडल अंतर्गत चारामा परिक्षेत्र अन्तर्गत निम्नानुसार नारंगी वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा :–

वृक्षारोपण स्थल क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	वनखण्ड	नारंगी क्षेत्र कमांक	वृक्षारोपण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित रकबा हे. में
साईट–01	कांकेर	चारामा	जेपरा	नारंगी क्षेत्र–1454	17.258
साईट–02	कांकेर	चारामा	कोटेला	नारंगी क्षेत्र–1459	11.325
साईट–03	कांकेर	चारामा	पलेवा	नारंगी क्षेत्र–1439	15.475
साईट–04	कांकेर	चारामा	किशनपुरी	नारंगी क्षेत्र–1433	17.000
योग:–					61.058

(ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत् संरक्षित वन या धारा–4 के तहत् आरक्षित वन के रुप मे अधिसूचित किया जाएगा ।

3. उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेगें ताकि वृक्षारोपण किया जा सके ।

4.(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1996 के अंतर्गत आई.ए.क्रमांक–566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5–1/1998–एफ.सी. (पार्ट–II) दिनांक 18.09.2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 तथा पत्र क्रमांक 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 30.529 हे. वन भूमि के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी ।

(ब) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

5. परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली – 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित की जायेगी ।

6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

7. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत अन्य समस्त शर्तो का पालन किया जाएगा ।

8. प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन क्षेत्र में 3951 बांस भिर्रा तथा 794 वृक्ष से ज्यादा वृक्ष नही काटे जाएंगे।

9. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अंतर्गत यदि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृति की आवश्यकता हो तो स्वीकृति ली जायेगी।

10. प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य में निर्माण के दौरान अथवा निर्माण पश्चात् भविष्य में निकलने वाले अपशिष्ट (Biomedical waste, Radioactive waste, Hazardous chemical waste, Solid waste etc) का नियमानुसार उचित प्रबंधन किया जायेगा। उक्त प्रबंधन हेतु यदि किसी प्रकार के नियम अधिनियम के तहत् स्वीकृति आवश्यक हो तो तद्नुसार स्वीकृति प्राप्त की जायेगी । किसी भी स्थिति में उपरोक्त अपशिष्ट को वन क्षेत्र में dispose off नही किया जायेगा।

क्रमश : 3

11. आवेदक संस्थान उपरोक्त शर्त के पालन हेतु लागू समस्त नियम अधिनियम जैसे पर्यावरण/अपशिष्ट प्रबंधन अथवा अन्य, के अनुरूप विस्तृत कार्ययोजना बनायेंगे तथा संबंधित विभागों से अनुमोदित कराकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के माध्यम से औपचारिक अनुमति के पूर्व अनुमोदित कार्ययोजना प्रस्तुत करेंगे।
12. भारत सरकार के दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 11-9/1998-FC दिनांक 15.02.2018 के बिंदु क्र. 3 (4) में उल्लेखित तालिका अनुसार नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित करेंगे ।
13. आवेदित वन क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को आवेदक संस्थान स्वयं के खर्च पर वैकल्पिक ईंधन प्रदाय की जायेगी, जिससे आस-पास के वन क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी की अवैध कटाई न हो सके।
14. आवेदित वन क्षेत्र में गैर वानिकी निर्माण कार्य के पश्चात् बचे खुले क्षेत्र में आवेदक संस्थान द्वारा स्वयं के खर्च पर स्थानीय वनाधिकारियों के मार्गदर्शन में यथासंभव वृक्षारोपण किया जायेगा।
15. आवेदित गैर वानिकी कार्य के दौरान पत्थरों को तोड़ने हेतु ब्लास्टिंग प्रतिबंधित रहेगा। यह कार्य मजदूरों के माध्यम से परंपरागत तरीके से कराया जायेगा, जिससे क्षेत्र के फाना पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
16. आवेदक संस्थान व्यपवर्तित वन भूमि को अन्य किसी भी संस्थान/व्यक्ति को कोई भी कार्य के लिए हस्तांतरित नही कर सकेगें।
17. व्यपवर्तित वन क्षेत्र के आस-पास के फ्लोरा एवं फॉना को हानि नही पहुंचाई जायेगी।
18. आवेदक संस्थान स्वयं के खर्च पर व्यपवर्तित स्थल का सीमांकन चार फीट ऊंचे आर.सी.सी. बाऊंड्री पिल्हर के माध्यम से किया जायेगा। उक्त पिल्हरों में फारवर्ड एवं बैक बियरिंग भी दर्ज की जायेगी।
19. व्यपवर्तित वन क्षेत्र के आस-पास के वन क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना न हो सके इसके पर्याप्त प्रबंध आवेदक संस्थान द्वारा किये जायेगें।
20. आवेदित गैर वानिकी कार्य में कार्यरत मजदूरों हेतु व्यपवर्तित वन क्षेत्र के बाहर के वन क्षेत्र में झोपड़ी/अस्थायी निवास का निर्माण प्रतिबंधित होगा।
21. आवेदित गैर वानिकी कार्य में उपयोग किये जाने वाले मशीनों का Installation व्यपवर्तित वन क्षेत्र के बाहर प्रतिबंधित होगा।
22. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलना पड़े तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय को निवेदन करेंगे ।
23. क्षेत्र के फ्लोरा एवं फाना के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) से शर्त संख्या 2, 3, 4, 10 एवं 11 की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् इस प्रकरण का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा ।

जब तक राज्य शासन औपचारिक अनुमोदन न कर दे, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम द्वारा उपयोगकर्ता को वनभूमि के वनेत्तर उपयोग का आदेश जारी न किया जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

07/03/2020
(गणवीर धम्मशील)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

क्रमशः : 4

पृष्ठां.कमांक एफ–5–01/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/03/2020

प्रतिलिपि :–

1. वन महानिरीक्षक, (एफ.सी), भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),भारत सरकार,पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग, व्हीं.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सूचनार्थ ।
3. मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर (छ.ग.)।
4. वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल कांकेर (छ.ग.)।
5. आवेदनकर्ता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर छ.ग.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

6. आदेश फोल्डर ।

07/03/2020
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

ole